

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1873/2012/जयपुर.
2. अपील संख्या - 1874/2012/जयपुर.
3. अपील संख्या - 1875/2012/जयपुर.
4. अपील संख्या - 1876/2012/जयपुर.

मैसर्स अलंकार ऑर्नामेंटल आयरन वर्क्स,  
58, कान्हा विहार, 200 फीट, गांधीपथ, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन जोन-तृतीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये चार अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 133, 134, 135 व 136/RVAT/AE-III/11-12 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 13.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन-III, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि क्रमशः वर्ष 2006-07, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 61 व 55 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन सभी अपीलों में विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभाग के जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2010 को किया गया, तब यह पाया कि फर्म द्वारा लोहे के कार्य में ग्रिल, सेक्शन विंडो, रेलिंग आदि का निर्माण कार्य किया जाता है परन्तु फर्म का पंजीयन

॥

✱

लगातार.....2



वाणिज्यिक कर विभाग में नहीं करवाया गया था एवं वक्त सर्वेक्षण व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा-पुस्तकें उपलब्ध नहीं पायी गयी थी, परन्तु जांच के दौरान प्राप्त व्यवसाय सम्बन्धी कुछ लूज पेपर्स एवं स्लिप पैड सत्यापन किये जाने हेतु अभिग्रहित किये गये थे। उन अभिग्रहित दस्तावेजों की जांच अपीलार्थी व्यवहारी के समक्ष की गयी एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाई जाकर यह अवधारित किया गया कि वर्ष 2006-07 से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल की खरीद बिक्री का कार्य किया जा रहा है परन्तु बिना पंजीयन लिये हुए एवं करदेयता को अघोषित रखते हुए व्यवसाय किया जा रहा था फलतः अपीलार्थी के विरुद्ध करवंचना का अभियोग स्थापित किया जाकर, अभिग्रहित दस्तावेजों की जांच पर बनाई गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कर, ब्याज एवं करापवंचन के अपराध में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें अस्वीकार की गईं एवं यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि उनके द्वारा सारा कार्य विभिन्न व्यक्तियों एवं व्यवहारियों के लिये जॉब वर्क पर किया गया है, अनुचित है, बल्कि अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि अभिग्रहित लूज पेपर्स एवं स्लिप पैड में लिखित संव्यवहारों के विस्तृत विश्लेषण पर जिन मामलों में कार्य लेबर एवं जॉब पर किया गया था उनको छूट प्रदान कर दी गयी है एवं अवशेष संव्यवहारों को विक्रय माने जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है बल्कि अपीलार्थी द्वारा विक्रयों को विभाग से छिपाकर अपंजीकृत रहते हुए जो बिक्री की गयी है उस पर शास्ति के आरोपण को भी उचित माना गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न क्रेताओं के शपथपत्रों को भी जिसमें उनके द्वारा माल दिया जाकर जॉब वर्क कराने का उल्लेख किया था उसे भी अस्वीकार किया गया जिसका आधार यह दिया गया कि वे सभी शपथपत्र एक ही दिनांक एवं एक ही नोटेरी से सत्यापित होने से मान्य नहीं हैं। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्णय के पूर्व इनके द्वारा पत्रावली की जांच नहीं की गई एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्रों को भी इस आधार पर अमान्य किया गया है कि वे एक ही दिन, एक ही भाषा, एक ही प्रारूप में तैयार किये जाने एवं एक ही नोटेरी पब्लिक से सत्यापित हैं। उन्होंने कथन किया कि शपथपत्रों को मान्यता देने के मामले में इस तरह का आधार पूर्णतया अनुचित है क्योंकि इस प्रकरण को विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाये जाने के पश्चात् एवं जांच





लगातार.....3



के दौरान यह नहीं मानने पर कि जिन-जिन बिलों का माल विभिन्न व्यक्तियों एवं व्यवहारियों के लिये बनाया गया था उनके द्वारा ही माल दिया गया था एवं उनके आदेश अनुसार ही माल का जॉब वर्क किया गया था, उसे प्रमाणित करने हेतु शपथपत्र उन विभिन्न व्यवहारियों से प्राप्त किये गये थे, जिसमें स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी का हित होने से उनके द्वारा यह सभी सत्यापित करवाये गये हैं, जिसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनका कार्य पूर्व में किया जा चुका है वे स्वयं यह श्रम नहीं कर सकते कि शपथपत्र तैयार करवाकर पेश करे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा उन सभी व्यक्तियों के लिये शपथपत्र बनाये गये एवं उनके द्वारा सोच-समझकर एवं होश हवाश सहित हस्ताक्षर करते हुए एवं उनसे सम्बन्धित बिलों की प्रतियों को साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है एवं न ही इस आधार पर इन्हें अमान्य किया जा सकता है।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत शपथपत्र चूंकि एक ही तरह की प्रकृति के हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के लिये केवल जॉब वर्क का कार्य करने से एवं उनके द्वारा माल दिये जाने से एक ही तरह का प्रारूप बनता है कि उन बिलों का माल स्वयं ने खरीदकर उनके घरों या अन्य व्यवसायिक संस्थानों के लिये माल को तैयार करवाया गया था जो पूर्णतया जॉब वर्क की परिभाषा में होने से एवं उनके द्वारा केवल लेबर कार्य किये जाने से वे विक्रय की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण माल का विक्रय मानते हुए जो करारोपण किया गया है वह अनुचित होने से अपारस्त योग्य है। यह भी कथन किया कि उनके द्वारा शपथपत्रों की जांच किये बिना ही उन्हें अमान्य किया गया है जबकि शपथपत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण नाम पते सहित घोषणा की हुई है, जिनसे कोई प्रतिसत्यापन नहीं किया गया है इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधूरी जांच के बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म केवलमात्र जॉब का ही कार्य करती है एवं उनके द्वारा खरीद एवं बिक्री का कोई कार्य नहीं किया जाता है और इसी तरह के कथन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पूरे सर्वे के दौरान किये गये थे कि उनके द्वारा किसी भी तरह के माल की खरीद एवं बिक्री नहीं की जाती बल्कि उनके द्वारा केवल जॉब कार्य हेतु कन्ज्यूमेबल सामान का ही उपयोग किया जाता है तथा इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किये गये रिटर्न की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें उनकी समस्त आय जॉब वर्क से सम्बन्धित घोषित की हुई थी।

 लगातार.....4




अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया कि दिनांक 11.05.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी तरह के माल की खरीद बिक्री नहीं की जाती एवं न ही फिनिशड गुड्स का विक्रय किया जाता है बल्कि जॉब वर्क हेतु समस्त माल की खरीदी विभिन्न जॉबदाताओं द्वारा की जाकर माल की सप्लाई की जाती है एवं उसी के सम्बन्ध में भुगतान भी किया जाता है जिसका भुगतान बैंक एवं बैंक की डी.डी. द्वारा प्राप्त किया गया है। इस तरह केवल जॉबकर्ता के रूप में अपीलार्थी द्वारा किये गये कार्यों को विक्रय मानकर किया गया करारोपण अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य बताया।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ऑडिट रिपोर्ट की एवं जांच रिपोर्ट की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई एवं प्रत्येक संव्यवहार से सम्बन्धी कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना ही आदेश पारित किया गया है इस प्रकार वेट अधिनियम के नियम 50 की पालना भी नहीं की गई, अतः समस्त कार्यवाही विधि शून्य होने से भी आदेश अपास्त योग्य बताया।

8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि समस्त कर निर्धारण आदेश के अबलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि कोई भी आदेश तथ्यों को पूर्णतया विवेचित करते हुए पारित नहीं किया गया है जो कि एक नॉन-स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है एवं यह भी कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से जो जवाब पेश किया गया था उनके बारे में कर निर्धारण आदेश में किसी भी तरह का आधार अमान्य करने के लिये नहीं दिया गया है, इस तरह उनके जवाब के बारे में कर निर्धारण आदेश में किसी भी तरह का खण्डन किये बिना एक तरफा करारोपण किया गया है एवं शपथपत्रों के बारे में भी कोई प्रति जांच किये बिना ही उन्हें अमान्य किया गया है जिससे आदेश स्वतः अविधिक आदेश की श्रेणी में आता है। इसी तर्क के सम्बन्ध में कथन किया कि उनके शपथपत्रों को असत्य सिद्ध किये बिना ही उन्हें अमान्य किया गया एवं न ही उन शपथकर्ताओं से कोई जांच की गई, ऐसी स्थिति में पारित आदेश अविधिक होने से अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई के दौरान अन्तिम रूप से यह कथन किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था पर चूंकि कर निर्धारण आदेश में किसी भी तरह का विवरण नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रूप से यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी को पुनः मौका देकर उनके जॉब वर्क से सम्बन्धित संव्यवहारों को टर्नओवर से कम किया जावे।






10. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का क्रय-विक्रय ही किया जा रहा है जो सर्वेक्षण में पाये गये लूज पेपर्स एवं डायरी से प्रमाणित होता है, जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रविष्टि की जांच की गई थी तथा जिन जिन मामलों की प्रविष्टियां दोबारा अलग-अलग आई थी उन्हें छूट प्रदान की गयी है एवं केवल उसी माल पर करारोपण किया गया है जो बिक्री के रूप में प्रमाणित हो रही थी। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत शपथपत्रों को अपीलीय अधिकारी ने भी इस आधार पर अस्वीकार किया है कि उनकी भाषा एवं प्रारूप एक ही है तथा एक ही नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाया गया है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने का तर्क दिया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

12. सभी वर्षों के कर निर्धारण आदेशों में किया गया विवेचन एक समान है एवं केवल बिक्री के आंकड़ों को ही वर्ष अनुसार दर्शाया गया है। कर निर्धारण आदेशों के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के संव्यवहारों को जॉब वर्क होने सम्बन्धी तर्क एवं तथ्यों को जो कि शपथपत्रों से समर्थित थे, उस पर किसी भी तरह का विवेचन नहीं किया गया है, बल्कि यह उल्लेख किया है कि "व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शपथपत्रों का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया एवं मिलान करने के उपरान्त स्वीकार करने योग्य शपथपत्रों को स्वीकार किया गया है।" कर निर्धारण अधिकारी की इन पंक्तियों से ही अपीलार्थी व्यवहारी के पूर्ण जवाब को अस्वीकार किया गया है जबकि अगर उनके द्वारा शपथपत्रों को स्वीकार करना बताया गया है तब शपथपत्रों के अनुसार किये गये जॉब वर्क को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित टर्नओवर से कम नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण आदेश अस्पष्ट एवं पूर्ण विवेचित नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह की बहियात संधारित नहीं की गई क्योंकि उनके द्वारा केवल जॉब वर्क ही किया जा रहा था एवं जॉब वर्क हेतु माल जॉबदाताओं द्वारा ही दिया गया था एवं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा समस्त बिलों सहित शपथपत्र दिये गये थे। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि समस्त बिलों की प्रतियां अपीलार्थी द्वारा जवाब के दौरान शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु उन



लगातार.....6



शपथपत्रों के कथनों का खण्डन किये बिना ही आदेश पारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ शपथपत्रों का अवलोकन किये जाने पर पाया कि प्रत्येक शपथपत्र में लूज पेपर के विवरण सहित राशि एवं दिनांक को माल स्वयं के लिये बनाया जाना एवं अलग-अलग माल बनाया जाना बताया गया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इस घोषणा को अस्वीकार करने में यह आधार नहीं दिया है कि यह किस कारण जॉब वर्क न माना जाकर विक्रय माना जावे। यह भी तथ्यात्मक रूप से बताया है कि अपीलार्थी व्यवहारी विभाग में पंजीकृत नहीं था एवं पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी कि वे क्रय विक्रय का कार्य करते हैं और पंजीयन की सीमा में आते हैं। ऐसी स्थिति में जांच के दिन के पूर्व के मामलों में बिना किसी बहियात के लूज पेपर के आधार पर जो बिक्री का अभिनिर्धारण किया गया था उस सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथपत्रों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिये था।

13. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा-पुस्तकों एवं डायरियों के प्रत्येक पृष्ठ की जांच की गयी है एवं जांच के दौरान जिस माल को विक्रय किया जाना पाया था उसे ही विक्रय संव्यवहारों में लिया गया है एवं जिस माल को केवल जॉब हेतु ही वर्णित किया था उसको सम्मिलित नहीं किया है। जांच पत्रावली से यह भी प्रकट होता है कि स्लिप पैड एवं डायरी में माल का भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्रति किलो के भाव से लिया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि माल सहित मूल्य प्राप्त किया गया है ऐसी स्थिति में वह जॉब वर्क भी नहीं कहा जा सकता परन्तु इन तथ्यों का कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में किसी भी तरह का वर्णन नहीं किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन विन्डो, ग्रिल एवं रेलिंग आदि का जो भुगतान प्राप्त किया गया है वह रनिंग फीट एवं प्रति किलो से लिया गया है जो यह दर्शाता है कि यह संव्यवहार केवल जॉब वर्क के नहीं हो सकते। इस तरह पूर्ण पत्रावली की जांच पर यह सीधे रूप से नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी व्यवहारी केवलमात्र जॉब का कार्य करते हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारी द्वारा विक्रय एवं जॉब दोनों ही तरह के कार्य किये जाते हैं। आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शपथपत्रों के सम्बन्ध में दिये गये तथ्यों का विवेचन किये बिना ही अस्वीकार किया है वह भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह निर्णीत किया जाता है कि प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट अनुसार माल का विक्रय रनिंग फीट एवं किलोग्राम से करने से वह जॉब वर्क की श्रेणी में नहीं माना जा सकता परन्तु कर निर्धारण अधिकारी

लगातार.....7



द्वारा शपथपत्रों में जिन जिन व्यक्तियों का कार्य जॉब वर्क के रूप में किया जाना बताया उनसे प्रतिसत्यापन किये बिना ही उन्हें अस्वीकार किया है वह भी उचित नहीं है।

14. फलतः इन समस्त प्रकरणों को पूर्ण जांच एवं विवेचित आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं शपथपत्रों में अंकित संब्यवहारों पर स्पष्ट निर्णय पारित करें एवं जिन मामलों में माल का भुगतान सीधे किलोग्राम या रनिंग फीट में प्राप्त किया है वह विक्रय माना जावे परन्तु जो शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं और जिन माल के बिल शपथकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत कर उनके जॉब वर्क करना बताया गया है उस पर पुनर्विचार कर पूर्ण आदेश पारित करें।

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

( के. एल. जैन )  
सदस्य